न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट दूदू

बइजलास :– डॉ. अर्तिका शुक्ला (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 12/2018 पुनः दर्ज नम्बर 02/2023 (रसद अपील)

मैसर्स ग्राम सेवा सहकारी समिति मोहनपुरा प्राधिकृत विक्रेता उचित मूल्य दुकान ग्राम पंचायत किशोरपुरा फागी जिला जयपुर हाल जिला दूदू जरिये फर्म व्यवस्थापक श्री प्रभू सिंह ।

(अपीलार्थी)

बनाम

जिला रसद अधिकारी जयपुर द्वितीय जयपुर

(प्रत्यर्थी/विपक्षी)

अपील अन्तर्गत धारा 22 (1) (2) राजस्थान खाद्यान्न एवं आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 विरूद्व आदेश जिला रसद अधिकारी जयपुर द्वितीय के प्रकरण संख्या 217/2017 निर्णय दिनांक 11.12..2017 जिसके द्वारा अपीलार्थी की उचित मूल्य की दुकान का प्राधिकार पत्र निरस्त कर धरोहर राशि 250/–रूपये जब्त सरकार करने के आदेश पारित किया गया।

उपस्थित :–

1. श्री शिवराम शर्मा / मनोज कुमार नाथावत अपीलार्थी की और से।
2. जिला रसद अधिकारी दूदू प्रत्यर्थी/विपक्षी की और से ।

निर्णय दिनांक :– 13.2.2024

1 संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी मैसर्स ग्राम सेवा सहकारी समिति मोहनपुरा प्राधिकृत विक्रेता उचित मूल्य दुकान ग्राम पंचायत किशोरपुरा तहसील फागी का प्राधिकार पत्र निरस्त कर धरोहर राशि 250/– रूपये जब्त सरकार करने के आदेश से व्यथित होकर अपील पेश की गई है।

जिला कलक्टर
दूदू (राज0)

Scanned with OKEN Scanner

2. यह अपील जिला कलक्टर जयपुर से नवसृजित जिला दूदू के क्षेत्राधिकार की होने से पत्रावली जिला कलक्टर जयपुर से इस न्यायालय में स्थानान्तरित होने से अपील पुनः दर्ज रजिस्टर की जाकर अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी/प्रतिवादी को नोटिस जारी किया गया। तहत रिकार्ड पूर्व से ही संलग्न पत्रावली है। प्रत्यर्थी की और से जिला रसद अधिकारी दूदू उपस्थित है। अपीलार्थी की तरफ से श्री शिवराम शर्मा व श्री मनोज कुमार नाथावत अधिवक्ता उपस्थित आये।

3. बहस उभयपक्ष सुनी गई।

4- वकील अपीलार्थी ने अपील के तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि अपीलार्थी मैसर्स ग्राम सेवा सहकारी समिति मोहनपुरा राजावतान प्राधिकृत विक्रेता उचित मूल्य दुकान ग्राम पंचायत किशोरपुरा जिला दूदू का प्राधिकार धारक दुकानदार है, जिसे राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के प्रावधानो के तहत प्राधिकार पत्र मिला हुआ था । अपीलार्थी उक्त आदेश 1976 एवं प्राधिकार पत्र की शर्तो व निर्बन्धनों, सरकार के अधिसूचित आदेशो एव सक्षम अधिकारियों के निर्देशानुसार उचित मूल्य की वस्तुओ का वितरण नियमानुसार करता है। दिनांक 26.8.2017 व 7.9.2017 को प्रवर्तन अधिकारी फागी द्वारा जॉच कर 16 क्विंटल गेहूँ , 219.520 लीटर केरोसीन तेल एवं 6 किलोग्राम चीनी का दुरूपयोग किया जाना बताकर मेरे विरूद्व कार्यवाही कर जिला रसद अधिकारी महोदय ने दिनांक 11.12.2017 को आदेश पारित कर मेरे प्राधिकार पत्र को निरस्त कर दिया गया है, स्टॉक रजिस्टर के अनुसार दुकान पर 531 कट्टे गेहूँ था लेकिन निरीक्षणकर्ता अधिकारियो ने न तो कट्टो की गिनती की और ना ही प्रत्येक कट्टे की तोल कराई व न ही खुले पडे हुए गेहूँ का तोल कराया गया। केवल अनुमान के आधार पर गेहूँ कम होना बताया है। जिला रसद अधिकारी ने उपभोक्ताओ को प्रस्तुत शपथ पत्रो पर गौर नही किया एकतरफा आदेश पारित किया है। जबकि न्यायिक सिद्वान्त के अनुसार सभी तथ्यो पर गौर किया जाना चाहिए था। अपीलार्थी के पास ग्राम सेवा सहकारी समिति लसाडिया का अतिरिक्त चार्ज होने से स्टॉक रजिस्टर अपीलार्थी के पास था निरीक्षण के दौरान अपीलार्थी मोके पर नही मिला यदि अपीलार्थी को समय दिया गया होता तो मौके पर ही रजिस्टर उपलब्ध करा दिया गया होता इस प्रकार अपीलार्थी को सुनवाई का मौका ही नही दिया गया। है। उक्त प्रकरण के सम्बंध में पुलिस थाना फागी में दर्ज कराई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट नम्बर 422 दिनांक 15.10.2017 पर बाद अनुसंधान पुलिस द्वारा अंतिम रिपोर्ट संख्या 0196/2017 में अनुसंधान से अपराध धारा 3/ ईसी एक्ट का घटित नही होना पाया गया है, मामला एफआर अदम वकू गलत फहमी वाका का होना पाया गया है। इस प्रकार अपीलार्थी पर अरोपित आरोप पुलिस ने साबित होना नही पाया है। इसलिए अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 11.12.2017 को अपास्त फरमाया जाकर प्राधिकार पत्र एवं प्रतिभूति राशि बहाल किये जाने के आदेश फरमावे।

जिला कलक्टर
दूदू (राज0)

Scanned with OKEN Scanner

5. प्रत्यर्थी/प्रतिवादी की ओर से जिला रसद अधिकारी दूदू ने अपीलार्थी के तर्कों का खण्डन करते हुए निवेदन किया कि अपीलार्थी द्वारा 16 क्विंटल गेहूँ, 219.620 लीटर कैरोसीन व 6 किलोग्राम चीनी का दुरूपयोग किया गया है। अपीलार्थी ने प्राधिकार पत्र की शर्त संख्या 2, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 17 (सी) एवं 18 का स्पष्ट उल्लंघन किया है। इसलिए जिला रसद अधिकारी जयपुर द्वितीय द्वारा पारित आदेश उचित है । अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज फरमाई जावे।

6 उभयपक्ष की बहस को गौर से सुना गया एवं उस पर मनन किया । पत्रावली का भलीभाँती अवलोकन किया गया।

7. अपीलार्थी पर मुख्य आरोप है कि 16 क्विंटल गेहूँ, 219.620 लीटर कैरोसीन एवं 6 किलोग्राम चीनी का प्रथम दृष्टया दुरूपयोग किया है। इस प्रकरण में रसद विभाग की तरफ से अपीलार्थी के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 422 दिनांक 16.10.2017 को दर्ज करवाई जिस पर पुलिस द्वारा अनुसंधान करने के पश्चात अपराध धारा 3/7 ईसी एक्ट का घटित होना नही पाया जाने पर एफ आर न. 196/17 दिनांक 21.12.17 को प्रकरण गलत फहमी का माना जाकर कित्ता की गई है। उपरोक्त तथ्यो के विवेचन से जाहिर है कि पुलिस ने अनुसंधान में अपीलार्थी पर लगाये गये आरोप साबित होना नही पाया है। अपीलार्थी का कथन है कि उसको साक्ष्य/सबूत दस्तावेज पेश करने का मौका नही दिया गया है। इसलिए न्यायहित में अपील अपीलार्थी स्वीकार किया जाना न्यायोचित समझते है।

8. जिला रसद अधिकारी जयपुर द्वितीय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 11.12.2017 को निरस्त किया जाता है अपीलार्थी डीलर का प्राधिकार पत्र व धरोहर राशि बहाल किये जाने का आदेश दिये जाते है।

9. जिला रसद अधिकारी दूदू को प्रकरण प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि यदि कोई अनियमितता मानते है, तो प्रकरण में पुनः जाँच कराकर एवं अपीलार्थी को सुनवाई एवं तथ्य प्रस्तुत किये जाने का समुचित अवसर प्रदान कर नये सिरे से विधि सम्मत आदेश पारित करे।

10. निर्णय की प्रति मय मिसल मातहत जिला रसद अधिकारी दूदू को प्रेषित हो। पत्रावली बाद तकमील फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

11. निर्णय आज दिनांक 13.2.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 अर्तिका शुक्ला)
जिला कलक्टर
दूदू (राज0)